

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “हाउसकीपर” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में
“हाउसकीपर” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वें चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव,
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई कर मेल-
हैं। सकते

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23062032

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (हाउसकीपर) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हाउसकीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, हाउसकीपर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता: वह व्यक्ति-**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना
मीधी भर्ती किए जाने वाले अलिंगों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएँ प्रो-तिर्यकों में वासी, यदि कोई हो	परिवी शाकी अवधि, प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती की पद्धति: भर्ती भर्ती या प्रो-नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्ति या प्रतिनियुक्त या आमेलन किया जाएगा	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
लागू नहीं होता।	तो वर्ष प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकते पर मीधी भर्ती कराया।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य बोर्ड के अधिकारी:-	विभागीय प्रोबति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) नियमिति द्वारा अधिकारी:-	लागू नहीं होता।
(ब) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए गए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बोतल मैट्रिक्स के स्तर-3 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	(1) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए गए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बोतल मैट्रिक्स के स्तर-3 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो;	(1) अपर चिकित्सा अधिकारी, डॉ. राम मानोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (2) डॉ. राम मानोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक - अध्यक्ष, नई दिल्ली अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक - मदस्य, (3) उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	(1) अपर चिकित्सा अधिकारी, डॉ. राम मानोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक - अध्यक्ष, नई दिल्ली अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक - मदस्य, (2) डॉ. राम मानोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक - मदस्य, (3) उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(ब) जो मीधी भर्ती किए जाने वाले अलिंगों के लिए विहित अहंताएँ और अनुभव रखते हों।	तिथ्यण 1: गोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोबति की मीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पावर नहीं होते। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अंकि प्रोबति द्वारा नियुक्ति			

अनुसन्धानी

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बैतन मैट्रिक्स में स्थार	बैतन पद या अवचयन पद	मीडी भर्ती किए जाने वाले व यक्षियों के लिए आयु-सीमा	मीडी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अभियान शैक्षिक और अन्य अहंताएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
हाउसकीपर	3* (2021)	साधारण कैर्ट रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकता है।	बैतन मैट्रिक्स में स्थार-4 (25500-81100 रुपए)	लागू होता	18 से 27 वर्ष के बीच	आवश्यक अहंताएँ: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोई या संस्थान से उच्चतर माध्यमिक। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाउसकीपिंग में डिप्लोमा। आवश्यक अनुभव: किसी प्रतिष्ठित घातावास/बैन्टिन/पेस में हाउसकीपिंग/केटरिंग का एक वर्ष का अनुभव। वाच्छनीय: (i) अंगेजी का ज्ञान। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएम ऑफिस में मर्टिफिकेट पाठ्यक्रम।	आवश्यक अहंताएँ: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाउसकीपिंग में डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाउसकीपिंग में डिप्लोमा। आवश्यक अनुभव: किसी प्रतिष्ठित घातावास/बैन्टिन/पेस में हाउसकीपिंग/केटरिंग का एक वर्ष का अनुभव। वाच्छनीय: टिप्पणि 1: आयु-सीमा निर्धारण की निणायिक तारीख अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, असाम चल प्रदेश, मिज़ोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, निक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्मीति जिला तथा चंबा जिला का पांची उपखंड, लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लद्दाखीप संघ राज्य जिन्होंने के अध्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पणि 2: अनुभव संबंधी अहंताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित यक्षियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि समावना नहीं है।

<p>के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शारीत किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>[ए.11018/02/2018-एमएच II]</p>
--	----------------------------------

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार